N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0091 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 09/04/2025 20:20 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 24/03/2025 **Date To (दिनांक तक):** 08/04/2025

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 08:43 बजे **Time To (समय तक):** 19:55 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 09/04/2025 **Time (समय):** 19:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 09/04/2025 20:20:25 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 58 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** CHUNGEE NAKA RANI BAZAR,, KASBA RANI, JILA PALI

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SAKARAM

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** MOTARAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1981 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	EYE HOSPITAL KE PASS, GRAM TAYRA, MOKHAMPURA, RANI, RANI, PALI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	EYE HOSPITAL KE PASS, GRAM TAYRA, MOKHAMPURA, RANI, RANI, PALI, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BHUNDARAM		पिता:MISHRILAL	1. GRAM DHANDHEDI POST MANDLA,SOJAT CITY,PALI,RAJASTHAN,INDIA
2	DINESH BAVAL		पिता:NEKARAM JI	1. RAMDEV CHAUK MUNDARA,BALI,PALI,RAJASTH

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		4,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 4,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली-प्रथम। विषयः- रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने बाबत। महोदय , उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे पिताजी जलदाय विभाग में सरकारी कर्मचारी (रिटार्यड) थे। जिनकी दिनांक 15.08.2024 को मृत्यु हो जाने से नियम अनुसार मेरी माता जी श्रीमाती शांति के नाम से पेंषन जारी करवाने हेतु मैं माह अगस्त 2024 में ही समस्त दस्तावेज तैयार कर रानी कोषालय में लगे अधिकारी से मिला तो उन्होंने मुझे उनके कार्यालय में लगे कर्मचारी श्री भुण्डाराम जी से मिलने हेतु कहा तो भुण्डाराम जी ने मेरे सभी दस्तावेज लेकर कहा कि आप जावों काम आपका काम हो जायेगा, जिस लगभग 7 माह बाद भी मेरे माताजी के नाम पेंषन खाते में नहीं आने से मैं दिनांक 19.03.2025 को श्री भुण्डाराम जी से मिला तो उन्होंने बताया कि आपके माताजी की पेंषन जारी कर लुगा फाईल तेयार है , लेकिन 6,000 रूपये देने होंगे तो मैंने पुछा कोई कोई सरकारी शुल्क है क्या तो बोले नहीं खर्चा-पानी है जो देना पडेगा , खर्चा-पानी नहीं दिया तो मैं पंेषन जारी नहीं करवाउंगा । जहा से मैंने उनको पेसे की व्यवस्था कर अगले 4-5 दिन में आने का कहकर वहा से निकल गया। मैं एक दिव्यांग हॅू तथा छोटा-मोटा कार्य कर अपने परिवार का गुजारा करता हॅू। मेरी माताजी शांति वृद्ध होकर बीमार रहती है। उनके पेंषन से सम्बंधित काम मैं ही करता हॅू। महीला एवं वद्ध होने से बाहर आ जा नहीं सकती , मेरे माताजी को मैंने भुण्डाराम द्वारा 6,000 रूपये रिष्वत मांगने के बारे में बताया तो उन्होंने कहा की आप रिष्वत मत देना जो आपकों उचित लगे वो कार्यवाही करों। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मैं श्री भुण्डाराम को मेरे माताजी के जायज कार्य पेंषन जारी करवाने हेतु कोई रिष्वत राषि नहीं देना चाहता हॅू और मैं उनको रिष्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हॅू। मेरी भुण्डारामजी से कोई रंजीष नहीं है। भुण्डाराम जी मेरे से कोई बकाया पैसे नहीं मांगते है। मैं मेरे आधार कार्ड की कॉपी व पेंषन संबंधी कागजात आपको पेष कर रहा हॅू। एसडी /- (सकाराम पुत्र स्व मोटाराम) 01 धमेन्द्र डूकिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसडी 24.03.25 निवासी मोखमपुरा रोड रानी 02 स्वतंत्र गवाह श्री सुभाष चन्द्र एसडी दिनांक 24.03.25 03 स्वतत्र गवाह श्री हुक्मीचन्द एसडी दिनांक 24.03.25 04 धमेन्द्र डूकिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसडी 27.03.25 कार्यवाही पुलिस दिनांक 24.03.2025 को वक्त 07.30 पी.एम पर मन् धर्मेन्द्र डूकिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाद गोपनीय राजकार्य से कार्यालय पर उपस्थित आया। श्री अषोक कुमार हैड कानि. नं. 126 ने एक बन्द लिफाफा मय डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया। दर्ज रहे कि दिनांक 24.03.2025 को मेरे मोबाईल नम्बर पर मोबाईल नम्बर से मिस्डकॉल आये हुऐ थे। जिस पर मेरे द्वारा दिनांक 24.03.2025 को समय 08ः43 ए.एम. पर उक्त मोबाईल नम्बर पर पुनः कॉल किया तो सामने से एक व्यक्ति ने कॉल रिसिव किया। उक्त व्यक्ति को मेरे द्वार परिचय पुछने पर उसने अपना नाम सकाराम पुत्र श्री मोटाराम, जाति सिरवी, निवासी लायंस आई अस्पताल के पास, मोखमपुरा मार्ग रानी, जिला पाली होना एवं बताया कि मेरे पिता स्व0 मोटाराम जी जलदाय विभाग के सेवानिवृत राजकीय कर्मचारी थे, जिनकी दिनांक 15.08.2024 को मृत्यु हो जाने से मेरी माता जी श्रीमती शांति के नाम नियमानुसार पेंशन जारी करवाने हेतु मैं माह अगस्त 2024 में आवष्यक दस्तावेज तैयार कर कोष कार्यालय से मेरी माताजी के नाम पेंषन जारी करवाने हेतु कोष कार्यालय में लगे कर्मचारी श्री भूण्डाराम कनिष्ठ सहायक से मिला तो श्री भुंडाराम जी ने मेरे से सभी दस्तावेज लेकर कहा कि मैं कुछ समय में आपका काम कर दुंगा, उक्त वार्ता के लगभग 07 माह बाद भी मेरे माता जी के नाम पेंशन जारी नहीं होने से मैं दिनांक 19.03.2025 को श्री भंडाराम जी से पुनः मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपके माताजी के नाम से पेंशन जारी कर लूंगा फाईल भी तैयार है, लेकिन 6000/- रूपये मुझे देने होंगे तो मैंने पूछा कि क्या यह कोई सरकारी शुल्क है तो बोले नहीं खर्चा पानी है जो देना पड़ेगा, खर्चा पानी नहीं दिया तो मैं पेंशन जारी नहीं करवाऊंगा ऐसे में मैंने उनको पैसे की व्यवस्था कर अगले चार-पांच दिन में आने का कहकर मैं वहां से निकल गया। उक्त वार्ता मैने मेरे माताजी को बताई। जिस पर मेरी माताजी ने जायज कार्य के बदले रिष्वत देने से मना कर दिया एवं उक्त कर्मचारी को रिष्वत लेते हुए पकडवाने एवं उसके विरूद्ध कार्यवाही करवाने हेतु मुझे मौखिक रूप से निर्देषित कर अधिकृत किया। मैं एक दिव्यांग हूं तथा छोटा-मोटा कार्य कर अपने परिवार का गुजारा करता हूं मेरी माताजी वृद्ध एवं अक्सर बीमार रहने से बाहर आ जा नहीं सकती है इसलिऐ उनके पेंशन से संबंधित सभी काम में ही देखता हॅू। मैं मेरी माताजी के जायज कार्य के बदले रिष्वत नहीं देना चाहता हॅू, उसे रिष्वत राषि लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हॅू। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री सकाराम को ए.सी.बी. कार्यालय पाली-प्रथम

पहुच श्री अशोक कुमार हैड कानि0 से मिलकर उपरोक्त वार्ता के क्रम में एक लिखित रिपोर्ट बन्द लिफाफे में देने हेतु निर्देषित किया तथा श्री सकाराम को फोन पर अग्रीम कार्यवाही हेतु मांग सत्यापन के क्रम में समझाईष की गई। तत्पष्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री अषोक कुमार हैड कानि0 को जरिये वॉटसअप कॉल हिदायत दी कि परिवादी श्री सकाराम के आने पर उनके द्वारा बन्द लिफाफे में प्रस्तुत रिपोर्ट आप अपने कब्जे में सुरक्षित रखे एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय लौटने पर प्रस्तुत करे, साथ ही श्री अषोक कुमार हैड कानि0 को हिदायत दी कि परिवादी श्री सकाराम के जायज कार्य हेतु रिष्वत राषि मांग की पुष्टि हेतु वास्ते मांग सत्यापन मालखाना से वॉयस रिकॉर्डर निकालकर उसमें नया मेमोरी कार्ड इनसर्ट कर खाली होना सुनिष्चित कर चलाने की प्रक्रिया की समझाईष कर ब्यूरो कार्मिक श्री ताराचन्द कानि. के साथ मांग सत्यापन हेतु रवाना करें एवं श्री ताराचन्द को मांग सत्यापन के सम्पूर्ण हालात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाने हेतु निर्देषित कर रवाना करे। तत्पष्चात वक्त 03.31 पी.एम. पर श्री ताराचन्द कानि. ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल बताया था कि श्रीमान् के निर्देषानुसर श्री अषोक कुमार हैड कानि. ने मुझे भ्रनिब्यूरो पाली प्रथम के कार्यालय में बुलाकर परिवादी श्री सकाराम से परिचय करवाया एवं परिवादी श्री सकाराम एवं मेरे मोबाईल नम्बरों का आपस में आदान प्रदान करवाया गया । तत्पष्चात श्री सकाराम व मुझे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑपरेट करने की समझाईष कर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में एक नया मेमोरी कार्ड इनसर्ट कर माग सत्यापन हेतु परिवादी के साथ कोष कार्यालय रानी के लिये रवाना किया। जिस पर हम दोनो भ्रनिब्यूरो कार्यालय पाली-प्रथम से समय 11.45 ए.एम. पर रवाना होकर उप कोष कार्यालय रानी के बाहर पहुॅचे। जहां मैने परिवादी श्री सकाराम को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चलाने की समझाईस कर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर मांग सत्यापन हेतु उप कोष कार्यालय रानी के लिऐ रवाना किया। मैं उप कोष कार्यालय के बाहर अपनी उपस्थित छुपाते हुऐ खड़ा रहा। कुछ समय पष्चात परिवादी श्री सकाराम उप कोष कार्यालय से बाहर आकर मेरे पास आये। जिनसे मैनंे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने कब्जे में लिया । परिवादी श्री सकाराम ने मन् ताराचन्द कानि. को बताया कि उप कोष कार्यालय रानी में श्री भुण्डाराम कनिष्ठ सहायक एवं श्री दिनेष बाबल उपकोषाधिकारी से वार्ता हुई है, वार्ता के दौरान उक्त दोनों ने मेरे माताजी के पेंषन जारी करवाने के एवज में मेरे से 4,000 रूपये रिष्वत की मांग की है, जो उक्त रिकार्डर में रिकार्ड है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कानि. श्री ताराचन्द को निर्देषित किया कि आप डिजीटल वॉयस रिकार्डर लेकर कार्यालय उप उपस्थित आवे एवं परिवादी को मांग सत्यापन के अनुरूप तय राषि की दो-तीन दिन में व्यवस्था कर ब्यूरो कार्यालय पाली-प्रथम में उपस्थित आने हेतु हिदायत करे। तत्पष्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री अषोक कुमार हैड कानि. द्वारा प्रस्तुत बन्द लिफाफा को खोलकर परिवादी श्री सकाराम द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर रिपोर्ट पर अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये। परिवादी की रिपोर्ट के अवलोकन से परिवादी द्वारा आज दिनांक 24.03.2025 को हुई मोबाईल वार्ता के तथ्यों की पुष्टि होती है। तत्पष्चात हैड कानि. श्री अषोक कुमार द्वारा प्रस्तुत डितीटल वॉयस रिकार्ड को ऑन कर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो श्री भुण्डाराम कनिष्ठ सहायक एवं दिनेष बाबत उपकोषाधिकारी द्वारा परिवादी श्री सकाराम से 4,000 रूपये रिष्वत राषि मांग की पुष्टि होना पाया गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं मांग सत्यापन वार्तानुसार लोक सेवकों द्वारा परिवादी के वैध कार्य के लिये रिष्वत की मांग करना प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की परिभाषा में आने से अग्रिम टेªप कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षित स्वयं के पास रखा। दिनांक 26.03.2025 वक्त 10.42 ए.एम पर परिवादी श्री सकाराम ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को कॉल कर बताया कि रिष्वत में दी जाने वाली 4,000 रूपये की व्यवस्था हो गई है एवं दिनांक 27.03.2025 को श्री भुण्डाराम कनिष्ठ सहायक उप कोष कार्यालय रानी एवं श्री दिनेष बाबल उपकोषाधिकारी में उपस्थित रहेंगे एवं मेरे से रिष्वत राषि ग्रहण भी कर देंगे। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री सकाराम को निर्देषित किया कि आप दिनंाक 27.03.2025 को प्रातः 07.00 ए.एम. पर रिष्वत राषि 4,000 रूपये सहित भ्रनिब्यूरो कार्यालय पाली-प्रथम में उपस्थित आवे। संभावित टेªप कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाहान की आवष्यकता होने से विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पाली एवं जिला षिक्षा अधिकारी, जिला पाली के नाम पृथक-पृथक तहरीर जारी कर श्री नरेन्द्र चौधरी कानि0 को सुपुर्द कर गवाहान पाबन्द कर उपस्थित ब्यूरो कार्यालय लाने हेतु रवाना किया गया। वापसी पर श्री नरेन्द्र चौधरी कानि. ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि विकास अधिकारी पंचायत समिति पाली एवं जिला षिक्षा अधिकारी कार्यालय से पृथक-पृथक दो-दो गवाहान लेने गया हुआ उपस्थित आया व कार्यालय पंचायत समिति पाली एवं कार्यालय जिला षिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक षिक्षा पाली जिला पाली द्वारा जारी स्वतंत्र गवाहान बाबत आदेष प्रस्तुत किये, साथ ही बताया कि उक्त आदेषों में अंकित स्वतंत्र गवाहान से मैनें वार्ता कर दिनांक 27.03.2025 को सुबह 7.00 एएम पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली-प्रथम उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर लिया है उक्त चारो गवाहान कल सुबह 7.00 एएम पर कार्यालय उपस्थित हो जायेंगे। दिनांक 27.03.2025 समय 7.00 ए.एम कार्यालय जिला षिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक षिक्षा पाली जिला पाली से पूर्व पाबन्द शुदा दो स्वतंत्र गवाहान उपस्थित कार्यालय आये एवं मन् अति. पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया। दोनों गवाहान ने अपना परिचय श्री हुकमीचन्द सेन पुत्र श्री फकरीचन्द जी सेन जाति नाई उम्र 51 वर्ष निवासी 1216 बी बजरंग नगर पाली पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर पाली

जिला पाली हाल प्रषासनिक अधिकारी कार्यालय जिला षिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक षिक्षा पाली, जिला पाली एवं श्री सुभाषचन्द्र पुत्र स्व. श्री हरीराम जी जाति सरगरा उम्र 42 साल निवासी ग्राम खौड़ पुलिस थाना गुडा एन्दला हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला षिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक षिक्षा पाली, जिला पाली के रूप में दिया। इसी दरम्यान पूर्व पाबन्द शुदा परिवादी श्री सकाराम भी उपस्थित आये। जिन्होंने बताया कि मेरे पास आरोपी श्री भुण्डाराम कनिष्ठ सहायक व श्री दिनेष बावल उप कोषाधिकारी को रिष्वत में देने हेतु चार हजार रूपये साथ लेकर आया हॅू, उपस्थित गवाहान का परिचय परिवादी श्री सकाराम से करवाया गया एवं उसके द्वारा दिनांक 24.03.2025 को प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट गवाहान को पढकर सुनायी एवं पढायी गयी तथा परिवादी एवं आरोपी के बीच वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकॉर्ड हुई वार्ता के महत्वपूर्ण अंष दोनो स्वतंत्र गवाहान को सुनाये गये। गवाहान द्वारा परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्यो एवं मांग सत्यापन के वक्त रिकार्ड की गई वार्ता को सुन समझ संतुष्ट होकर ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान रहने की सहमति प्रदान की गई। दोनो गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये। वक्त 7.15 एएम कार्यालय पंचायत समिति पाली, जिला पाली से पूर्व पाबन्द शुदा दो स्वतंत्र गवाहान उपस्थित कार्यालय आये एवं मन् अति. पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया। दोनों गवाहान ने अपना परिचय क्रमषः श्री बाबुदास पुत्र श्री पुनमदास जी जाति वैष्णव उम्र 45 साल निवासी डेण्डा तहसील पाली पुलिस थाना गुडा एन्दला जिला पाली हाल कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत सोनाईमाजी जिला पाली एवं श्री श्रवण परिहार पुत्र श्री मिश्रीमल जी जाति मेघवाल उम्र 24 साल निवासी बाला तहसील पाली पुलिस थाना गुडा एन्दला जिला पाली हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत साकदडा जिला पाली के रूप में दिया। इसी दरम्यान उक्त ट्रेप कार्यवाही में इमदाद हेतु श्री चेनप्रकाष निरीक्षक पुलिस मय जाब्ता श्री पूनाराम कानि. न 0165, सतपाल कानि. नं0 494 मय सरकारी बोलेरो वाहन एवं श्री अवतारसिंह सहायक प्रषासनिक अधिकारी उच्चा अफसरान के निर्देषानुसार वास्ते इमदाद कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। उक्त दोनो गवाहान को बुलाने के मंतव्य से अवगत करवाया जाकर उपस्थित गवाहान का परिचय पूर्व से इस कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री सकाराम एवं अन्य दो स्वतंत्र गवाहान हुक्मीचन्द व सुभाषचन्द्र से करवाया गया एवं परिवादी द्वारा दिनांक 24.03.2025 को प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट गवाहान को पढकर सुनायी एवं पढायी गयी तथा परिवादी एवं आरोपी के बीच वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकॉर्ड हुई वार्ता के महत्वपूर्ण अंष दोनो स्वतंत्र गवाहान को सुनाये गये। गवाहान द्वारा परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्यो एवं मांग सत्यापन के वक्त रिकार्ड की गई वार्ता को सुन समझ संतुष्ट होकर ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान रहने की सहमति प्रदान की गई। दोनो स्वतंत्र गवाहान ने रनिंग नोट पर अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये। तत्पष्चात परिवादी श्री सकाराम व आरोपी श्री भुण्डाराम कनिष्ठ सहायक एवं श्री दिनेष बावल उपकोषाधिकारी के मध्य दिनांक 24.03.2025 वक्त रिश्वत राशि मंाग सत्यापन के दौरान हुई डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकार्डशुदा वार्ता को उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री हुकमीचन्द सेन एवं श्री सुभाषचन्द्र एवं परिवादी की उपस्थिति में विभागीय लेपटॉप से अटेच कर सुन-सुनकर फर्द ट्रान्स्क्रीप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन तैयार करना प्रारम्भ की गयी। आरोपी एवं परिवादी की आवाज की पहचान परिवादी श्री सकाराम ने की। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की विभागीय लेपटॉप के माध्यम से हैष वेल्यु प्राप्त कर फर्द में अंकित की गई। तत्पष्चात रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की कॉपी कर तीन क्लोन पेन ड्राईव तैयार किये गये। मूल मेमोरी कार्ड डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से निकालकर सफेद कपडे की थैली में डाल सील मोहर किया जाकर कपड़े की थैली पर एवं फर्द पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा तीनो क्लोन पैन ड्राईव को खुली हालत में रखा गया। उक्त मूल सीलबन्द मेमोरी कार्ड एवं तीन क्लोन पैन ड्राईव मालखाना प्रभारी श्री अषोक कुमार हैड कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। तत्पष्चात परिवादी श्री सकाराम ने दोनों निष्पक्ष गवाहान श्री हुक्मीचन्द सेन एवं श्री सुभाषचन्द्र की उपस्थिति में आरोपी को रिवश्त के रूप में दी जाने वाली राशि 500-500 रूपये के 08 नोट कुल 4,000 रूपये मुझ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित कर श्री निर्मलसिह कनिष्ठ सहायक से उक्त सभी नोटों पर हल्का-हल्का फिनॉफ्थिलीन पाऊडर लगवाया गया। परिवादी श्री सकाराम की जामा तलाशी गवाह श्री सुभाषचन्द्र से लिवाई जाकर रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि 4,000 रूपये श्री निर्मलसिंह के हाथ से परिवादी के पहने हुए शर्ट की आगे की बायी जेब में रखवायी गयी तथा फिनॉफ्थिलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की क्रिया-प्रतिक्रिया के बारे में समझाईश कर दृष्टांत पृथक से दिया गया। उक्त कार्यवाही का विस्तृत विवरण फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्वत राशि एवं प्रर्दशन फिनॉफ्थिलीन पाऊडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाऊडर में अंकित किया गया। वक्त 11.15 ए.एम पर मन् धर्मेन्द्र डूकिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री हुक्मीचन्द सेन व श्री सुभाषचन्द एवं स्वतंत्र गवाह श्री श्रवण परिहार व बाबुदास, परिवादी श्री सकाराम एवं ब्यूरो जाब्ता श्री चैनप्रकाष निरीक्षक पुलिस, श्री भैरूसिह सहायक उप निरीक्षक, श्री अवतारसिंह सहा.प्रषा.अधि., श्री हुकमसिंह क.सहा., श्री अषोक कुमार मुख्य आरक्षक नं. 126, श्री नरेन्द्र चौधरी कानि 286, श्री धर्माराम कानि. 400, श्री ताराचन्द कानि. 176, श्री रतनसिंह कानि. 357, श्री पूनाराम कानि. 165, श्री सतपाल कानि. 494 व श्री अभय कुमार हैड कानि. ड्रॉ. 09 व श्री नारायणसिह कानि. ड्रॉ. नं. 490 के जरिये ब्यूरो कार्यालय पाली-प्रथम एवं पाली द्वितीय के सरकारी वाहनो मय ट्रेप बॉक्स तथा विभागीय डिजिटल वॉयस रिकार्डर, विडियॉ रिकॉर्डर, लेपटॉप मय प्रिन्टर सहित अग्रिम ट्रेप

कार्यवाही हेतु मेरे निर्देशानुसार भ्रनिब्यूरो कार्यालय पाली-प्रथम से उप कोष कार्यालय रानी की तरफ रवाना हुऐ। रिश्वत राशि पर फिनॉफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री निर्मलसिंह कनिष्ठ सहायक को कार्यालय पर ही छोड़ा गया। वक्त 12.15 पी.एम मन् धर्मेन्द्र डूकिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान सम्पूर्ण जाब्ता फिकरा उपरोक्त के रवाना शुदा उप कोष कार्यालय रानी से थोडा पहले पहुंचे एवं ब्यूरो वाहनों को साईड में रोका गया। परिवादी श्री सकाराम को आरोपी श्री भुण्डाराम एवं श्री दिनेष बावल की उपस्थिति के बारे में जानकारी बाबत पूछा गया तो परिवादी ने अपने स्तर पर उक्त दोनों को उपस्थित का मालूमात किया तो ज्ञात हुआ कि श्री दिनेष बावल उप कोषाधिकारी कार्यालय में उपस्थित नहीं है एवं श्री भुण्डाराम कनिष्ठ सहायक उप कोष कार्यालय में उपस्थित है। जिस पर परिवादी श्री सकाराम ने बताया कि मेरे से रिष्वत राषि श्री भुण्डाराम ग्रहण कर लेंगे। जिस पर परिवादी श्री सकाराम को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर ऑपरेट करने की पुनः समझाईष कर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में एक नया मेमोरी कार्ड इनसर्ट कर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर परिवादी को सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत देकर परिवादी एवं श्री ताराचन्द कानि.को उप कोष कार्यालय रानी के लिऐ रवाना करते हुऐ हिदायत दी गई कि श्री भुण्डाराम कनिष्ठ सहायक द्वारा रिष्वत राषि ग्रहण करने के पष्चात ट्रेप पार्टी को देखकर पूर्व निर्धारित गोपनीय ईषारा करे एवं कानि. श्री ताराचन्द को हिदायत दी गई कि आप अपनी उपस्थित छिपाते हुऐ परिवादी एवं आरोपी के मध्य होने वाली लेन-देन को देखने का प्रयास करे। इत्यादी हदायत देकर परिवादी श्री सकाराम एवं श्री ताराचन्द कानि. को उप कोष कार्यालय रानी के लिऐ रवाना किया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह गवाहान मय शेष जाब्ता उप कोष कार्यालय रानी के आस-पास अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकिम हुए वक्त 01.00 पी.एम पर परिवादी श्री सकाराम एवं श्री ताराचन्द कानि. मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आये। कानि. श्री ताराचन्द ने बन्द हालत में डिजीटल वॉयस रिकार्डर प्रस्तुत किया जिसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने प्राप्त कर अपनी सुरक्षा में रखा । तत्पष्चात परिवादी सकाराम ने बताया कि श्रीमान् द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर देने पर मैं उप कोष कार्यालय रानी पहुचा जहा मुझे श्री भुण्डाराम कनिष्ठ सहायक अपनी सीट पर मिले जिन्हे मैंने रिष्वत राषि मांग के अनुसरण में 4000 रूपये देने चाहे तो श्री भुण्डाराम ने कहा आप जाओ, यहा नहीं आफिस में नहीं आफिस में हमारे कैमरे है। तत्पष्चात श्री भुण्डाराम ने अपने कार्मिक पंकज को बाहर किसी अन्य व्यक्ति को रूपये दिलाने हेतु ईषारा किया व भुण्डाराम जी ने मुझे कहा कि ठीक है आप बाहर जाकर बताये स्थान पर रूपये देकर आ जाओ यहां नहीं ऑकिस में हमारे कैमरा है। जिस पर मैं बाहर पंकज के बताये स्थान पर गया व स्टॉम्प वेण्डर की दुकान के पास खडे दीपक नाम के लडके को रूपये देने हेतु कहा जिस पर मैंने, तिसरे व्यक्ति दीपक को देने में थोडा संकोच किया । इतने में श्री भुण्डाराम जी वहा आ गये व कहा कि आप एक तारीख के बाद ही रूपये देना, पहले मत देना जिस पर मैंने कहा जैसा आप कहो जिस पर पुनः भुण्डाराम जी ने कहा नहीं अभी आप कुछ नहीं दोगे तब मैंने उन्हे कहा जैसा आप कहो जैसी आपकी ईच्छा, इतना कहते ही भुण्डाराम जी व पंकज वहा से चले गये। कुछ समय बाद मैं ताराचन्द जी कानि0 के पास पहुचा जिन्हे मैंने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर पेष किया। जिस ताराचन्द कानि0 ने स्वीच ऑफ कर अपने कब्जे में लिया तथा रवाना होकर आपके पास पहुचे है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को ऑन कर सुना गया तो परिवादी सकाराम द्वारा बताये तथ्यों की पुष्टि हुई। परिवादी सकाराम द्वारा बताये तथ्यों एवं रिकॉर्ड वार्ता से आज के रोज अग्रीम कार्यवाही होने की सम्भावना नहीं होनें एवं रिकॉर्ड वार्ता अनुसार अग्रीम ट्रेप कार्यवाही दिनांक 01 अप्रेल 2025 को होने की सम्भाना होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान सम्पूर्ण जाब्ता के कस्बा रानी से रवाना होकर भ्र0नि0ब्यूरो पाली-प्रथम पहुचे । स्वतंत्र गवाहा श्री हुक्मीचन्द सेन एवं श्री सुभाषचन्द्र की उपस्थिति में आरापी को दी जाने वाली फिनोफ्थलीन युक्त रिष्वत राषि 4000 रूपये जो परिवादी सकाराम के पहनी हुई शर्ट की बायी जैब में रखवायी गई थी, उक्त राषि को परिवादी सकाराम की बायी जैब से ब्यूरो कार्मिक श्री निर्मिलसिंह से निकलवाई जाकर एक लिफाफे में डाल ट्रेप बॉक्स में रखवाई गई । ट्रेप बॉक्स मालखाना प्रभारी अषोक कुमार हैड कानि0 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। तत्पष्चात परिवादी श्री सकाराम व आरोपी श्री भुण्डाराम कनिष्ठ सहायक एवं अन्य के मध्य आज दिनांक 27.03.2025 को रिष्वत राषि लेन-देन पूर्व हुई वार्ता जो डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकार्डशुदा है, को उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री हुकमीचन्द सेन एवं श्री सुभाषचन्द्र एवं परिवादी की उपस्थिति में विभागीय लेपटॉप से अटेच कर सुन-सुनकर फर्द ट्रान्स्क्रीप्ट फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिष्वती राषि लेनदेन पूर्व वार्तालाप तैयार करना प्रारम्भ की गयी। आरोपी एवं परिवादी की आवाज की पहचान परिवादी श्री सकाराम ने की। रिष्वती राषि लेनदेन पूर्व वार्तालाप की विभागीय लेपटॉप के माध्यम से हैष वेल्यु प्राप्त कर फर्द में अंकित की गई। रिष्वती राषि लेनदेन पूर्व वार्तालाप की कॉपी कर तीन क्लोन पेन ड्राईव तैयार की गई। मूल मेमोरी कार्ड डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से निकालकर सफेद कपडे़ की थैली में डाल सील मोहर कर कपड़े की थैली पर एवं फर्द पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा तीनो क्लोन पैन ड्राईव को खुली हालत में रखा गया। उक्त मूल सीलबन्द मेमोरी कार्ड एवं तीन क्लोन पैन ड्राईव मालखाना प्रभारी श्री अषोक कुमार हैड कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। तत्पष्चात स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री हुक्मीचन्द, सुभाषचन्द्र, श्रवण व बाबुदास तथा परिवादी श्री सकाराम एवं ब्यूरो कार्यालय द्वितीय जाब्ता श्री चेनप्रकाष निरीक्षक पुलिस मय जाब्ता पूनाराम कानि , श्री सतपाल कानि. मय सरकारी वाहन व श्री अवतारसिंह अतिरक्त प्रषासनिक अधिकारी , को मुनासिब हिदायत के रूकसत किया। दिनांक 01.04.2025 वक्त 10.30 एएम मन्

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र डूकिया ने अग्रीम ट्रेप कार्यवाही हेतु परिवादी से जरिये फोन सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि आरोपी श्री भुण्डाराम का अभी तक मेरे पास कॉल नहीं आया ना ही उसके किसी मध्यस्थ ने मुझसे सम्पर्क किया है , आईन्दा कॉल आने अथवा सम्पर्क होने की स्थिति में हालत से अवगत करवा दुंगा जिस पर परिवादी को गोपनीयता की मुनासिब हिदायत की गई। दिनांक 07.04.2025 वक्त 11.00 एएम पर परिवादी श्री सकाराम ने जरिये फोन अवगत कराया कि " मेरे द्वारा आरोपी श्री भुण्डाराम से सम्पर्क किया गया तो उसने मेरी माताजी शांति की फैमेली पेंषन स्वीकृत हो जाना व पेंषन के पैसे खाते में आ जाना बताया तथा पूर्व में मांग की गई राषि देने हेतु कहा जिस पर मेरे द्वारा अपने खेत में गया होना व समय लगने की बात कहने पर आरापी भुण्डाराम ने आईन्दा स्वतः कॉल कर राषि ले-लेने बाबत कहा । जिस पर परिवादी सकाराम को आरोपी द्वारा लेन-देन हेतु सम्पर्क करते ही मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करने व गोपनीयता बरतने ही हिदायत की गई। दिनांक 08.04.2025 वक्त 09.20 एएम पर परिवादी श्री सकाराम ने जरिये फोन वार्ता कर अवगत कराया कि आरोपी के बताये अनुसार मेरी माताजी की पेंषन की राषि खाते में जमा हो गई है , मेरा काम हो जाने से आज आरोपी श्री भुण्डाराम मेरे से रिष्वती राषि की लेन-देन करने की पूरी सम्भावना है , जिस पर अग्रीम ट्रेप कार्यवाही की सम्भावना होनें से परिवादी को पाबन्द कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देष पर कस्बा रानी से थोडा पहले मिलने की हिदायत की गई। ट्रेप कार्यवाही की सम्भावना होनें से ब्यूरो जाब्ता की उपस्थिति प्राप्त कर स्वतंत्र गवाहान की तलबी की गई । तत्पष्चात कार्यालय जिला षिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक षिक्षा पाली जिला पाली से पूर्व पाबन्द शुदा दो स्वतंत्र गवाहान श्री हुकमीचन्द एवं सुभाषचन्द्र उपस्थिति प्राप्त की गई एवं कार्यालय पंचायत समिति पाली, जिला पाली से पूर्व पाबन्द शुदा दो स्वतंत्र गवाहान श्री बाबुदास हाल कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत सोनाईमाजी जिला पाली एवं श्री तेजाराम पुत्र श्री नेनाराम उम्र 38 साल जाति मेघवाल निवासी सोडावास थाना सदर तहसील पाली व जिला पाली हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत देवली पंचायत समिति पाली उपस्थित आये। इसी दरम्यान उक्त ट्रेप कार्यवाही में इमदाद हेतु श्री चेनप्रकाष निरीक्षक पुलिस मय जाब्ता श्री पूनाराम कानि. न 0165, सतपाल कानि. नं0 494 मय सरकारी बोलेरो वाहन उच्च अफसरान के निर्देषानुसार वास्ते इमदाद कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। उक्त ट्रेप कार्यवाही में श्री तेजाराम प्रथम बार आने से गवाह श्री तेजाराम को बुलाने के मंतव्य से अवगत करवाया गया , उपस्थित दोनों गवाहान का परिचय पूर्व से इस कार्यालय में उपस्थित अन्य दो स्वतंत्र गवाहान हुक्मीचन्द व सुभाषचन्द्र से करवाया गया एवं परिवादी द्वारा दिनांक 24.03.2025 को प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट गवाहान को पढकर सुनायी एवं पढायी गयी तथा परिवादी एवं आरोपी के बीच वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकॉर्ड हुई वार्ता के महत्वपूर्ण अंष दोनो स्वतंत्र गवाहान को सुनाये गये। गवाहान तेजाराम द्वारा परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्यो एवं मांग सत्यापन के वक्त रिकार्ड की गई वार्ता को सुन समझ संतुष्ट होकर ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान रहने की सहमति प्रदान की गई। वक्त 11.00 एएम पर मन् धर्मेन्द्र डूकिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री हुक्मीचन्द सेन व श्री सुभाषचन्द एवं परिवादी श्री सकाराम एवं ब्यूरो जाब्ता श्री भैरूसिह सहायक उप निरीक्षक, श्री नरेन्द्र चौधरी कानि 286, श्री ताराचन्द कानि. 176, श्री रतनसिंह कानि. 357, श्री हुकमसिंह क.सहा., श्री निर्मलसिंह कनिष्ठ सहायक, श्री अभय कुमार हैड कानि. ड्रॉ. 09 व श्री नारायणसिह कानि. ड्रॉ. नं. 490 ब्यूरो कार्यालय प्रथम के सरकारी वाहन व निजी वाहन, ट्रेप बॉक्स तथा विभागीय डिजीटल वॉयस रिकार्डर, विडियॉ रिकॉर्डर, लेपटॉप मय प्रिन्टर सहित तथा श्री चैनप्रकाष निरीक्षक पुलिस, स्वतंत्र गवाह श्री तेजाराम व बाबुदास, श्री पूनाराम कानि. 165, श्री सतपाल कानि. 494 मय ट्रेप बॉक्स ,विभागीय डिजीटल वॉयस रिकार्डर, विडियॉ रिकॉर्डर, लेपटॉप मय प्रिन्टर सहित ब्यूरो कार्यालय पाली द्वितीय के सरकारी वाहन से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु मेरे निर्देशानुसार भ्रनिब्यूरो कार्यालय पाली-प्रथम से उप कोष कार्यालय रानी की तरफ रवाना हो वक्त वक्त 12.10 पीएम पर लाल मंदिर सिनेमा हॉल से कुछ पहले कस्बा रानी पहुचे, जहा परिवादी श्री सकाराम मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देषानुसार उपस्थित मिला , परिवादी ने पुनःअवगत कराया कि दिनांक 07.04.2025 आरोपी श्री भुण्डाराम से हुई वार्ता अनुसार आरोपी आज अचानक मुझसे सम्पर्क कर सकता है , जिस पर परिवादी को अपने स्तर पर आरोपी भुण्डाराम की उपस्थिति ज्ञात करने हेतु निर्देषित किया गया। परिवादी श्री सकाराम ने अपने स्तर पर आरोपी भुण्डाराम की उपस्थित ज्ञात कर बताया कि श्री भूण्डाराम अपने कार्यालय में उपस्थित है, उसके कार्यालय में केमरे होने से कार्यालय समय में मुझसे सम्पर्क नहीं करेगा ना ही रूपये प्राप्त करेगा , कार्यालय समय समाप्त होने पर भूण्डाराम मेरे से सम्पर्क कर रूपयों की मांग कर सकता है। जिस पर सम्भावित कार्यवाही के मध्यनजर परिवादी के पास आरोपी का कॉल आने अथवा अन्य मध्यस्थ के माध्यम से सम्पर्क करने पर तुरन्त मुझ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करने बाबत निर्देषित किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान कस्बा रानी उपकोष कार्यालय के आस पास अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकिम हुए व परिवादी को गोपनीयता रखते हुए आस पास उपस्थित रहने की हिदायत की गईं । वक्त 5.55 पी0एम0 पर ट्रेप कार्यवाही में दिनांक 27.03.2025 को लेन-देन पूर्व वार्ता में आरोपी भुण्डाराम के साथ रिष्वती राषि की मांग करने वाला अधिकारी श्री दिनेष बावल उपकोषाधिकारी , रानी से कार्यालय समय समाप्त होनें से गंतव्य हेतु निकलना है जो प्रकरण में सह आरोपी है, संभावित ट्रेप कार्यवाही में लेन-देन हो जाने पर सह आरोपी को डिटेन करने हेतु श्री चेनप्रकाष निरीक्षक पुलिस , श्री पूनाराम कानि0 , सतपाल कानि0 , स्वतंत्र गवाहान श्री तेजाराम , श्री बाबुदास वैष्णव मय

ब्यूरो कार्यालय द्वितीय के सरकारी बोलेरो वाहन से सह आरोपी का गोपनीय रूप से पीछा कर निगरानी रखने व आरोपी श्री भुण्डाराम से लेने-देन हो जाने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देषानुसार सह आरोपी श्री दिनेष बावल को डिटेन कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित करने बाबत निर्देषित कर श्री दिनेष बावल के निजी वाहन के पिछे रवाना किया गया। वक्त 6.00 पी0एम0 पर आरोपी श्री भुण्डाराम कार्यालय समय समाप्त होनें से कार्यालय से निकला है जो परिवादी से किसी भी समय सम्पर्क कर सकता है ऐसी सम्भावना को मध्यनजर रखते हुए मन् धर्मेन्द्र डूकिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी सकाराम व स्वतंत्र गवाह श्री हुक्मीचन्द सेन एव श्री सुभाषचन्द एवं परिवादी श्री सकाराम तथा ब्यूरो जाब्ता श्री भैरूसिह सहायक उप निरीक्षक, श्री नरेन्द्र चौधरी कानि 286, श्री ताराचन्द कानि. 176, श्री रतनसिंह कानि. 357, श्री हुकमसिंह क.सहा., श्री निर्मलसिंह कनिष्ठ सहायक, श्री अभय कुमार हैड कानि. ड्रॉ. 09 व श्री नारायणसिह कानि. ड्रॉ. नं. 490 ब्यूरो कार्यालय प्रथम के सरकारी वाहन व निजी वाहन, ट्रेप बॉक्स तथा विभागीय डिजीटल वॉयस रिकार्डर, विडियॉ रिकॉर्डर, लेपटॉप मय प्रिन्टर सहित गोपनीय रूप से आरोपी के पीछे रवाना हुए , आरोपी भुण्डराम बिना रूके चुंगीनाका से मुड कर स्वयं के घर पहुच जाने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान पुनः मुड बिजावा रोड पहुच आरोपी के परिवादी से संम्पर्क के इंतजार में व्यस्त हुए। 07.31 पी0एम0 पर आरोपी श्री भुण्डाराम ने परिवादी को फोन कर उसकी उपस्थिति ज्ञात करने पर परिवादी ने स्वयं को निजी कार्य से रानी बाजार आना अवगत कराया जिस पर आरोपी भुण्डाराम ने परिवादी को चुगीनाका रानी बाजार मिलने हेतु कहा चुकि आरोपी भुण्डाराम ने परिवादी सकाराम को चुंगीनाका रानी बाजार बुलाया है, रिष्वती राषि लेन-देन की प्रबल सम्भावना होनें से ट्रेप बॉक्स में रखा लिफफा जिसमें दिनांक 27.03.2025 को आरोपी को दी जाने वाली रिष्वती राषि 4,000 रूपये रखवाई गई थी, जिसे हमरा श्री निर्मलसिंह कनिष्ठ सहायक से निकलवाई जाकर स्वतंत्र गवाह सुभाषचन्द्र को पूर्व में तैयार फर्द पेषकषी में अंकित नोटो से मिलान करवाया गया तो हुबहु पाये गये । उक्त राषि श्री निर्मलसिंह कनिष्ठ सहायक के हाथों से परिवादी श्री सकाराम के पहने हुए शर्ट की उपरी बायी जैब में रखवाई गई। परिवादी को हिदायत दी गई की रिष्वत राषि लेन-देन के उपरान्त अपने दोनों कानों में से किसी भी एक कान में दो-तीन बार खुजली कर अथवा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल फोन पर मिस कॉल कर गोपनीय ईषरा करे। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रास्ते में इन नोटो के हाथ नहीं लगावें तथा आरोपी श्री भुण्डाराम द्वारा रिवशत राशि मांगने पर ही निकाल कर देवे ,रिष्वत राषि देने से पूर्व या देनं के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए । यदि अभिवादन की आवष्यकता हो तो हाथ जोडकर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिष्वत राषि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्षन न करें तथा इस बात का भी ध्यान रखे कि आरोपी रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात् किस स्थान पर रखता है अथवा छुपाता है। वक्त 07.36 पी0एम0 परिवादी श्री सकाराम व श्री ताराचन्द कानि0 को डिजीटल वॉयस रिकॉर्ड ऑपरेट करने की समझाई कर डिजीटल वॉयस रिकॉर्ड में नया मेमोरी कार्ड इनसर्ट कर ने चुंगीनाका से पूर्व परिवादी को सुपर्द करने हेतु रवाना किया गया। वक्त 7.55 पीएम पर चुंगीनाका कस्बा रानी खडे परिवादी श्री सकाराम नें अपने कान में दो-तीन बार खुजली कर आरोपी से लेन-देन हो जाने का गोपनीय ईषारा किया जिसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराह जाब्ता द्वारा अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाए हुए देखा आरोपी से लेन देन हो जाने का गोपनीय ईषारा प्राप्त होनें से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता के चुंगीनाका कस्बा रानी खडे परिवादी के पास पहुंचे, मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पूर्व में परिवादी को दिया ब्यूरो का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने कब्जे में लिया परिवादी के पास जवान उम्र का एक व्यक्ति खडा हुआ मिला। उक्त व्यक्ति को देखकर उसकी तरफ हाथ से इषारा कर परिवादी श्री सकाराम ने बताया कि यही श्री भुण्डाराम जी बाबुजी है जिन्होंने अभी-अभी मेरे से रिष्वती राषि मांग कर चार हजार रूपये प्राप्त कर अपने पहने हुए काले रंग के पजामें की आगे की दाहिनी जैब में रखे है। जिस पर उक्त व्यक्ति घबराकर भागने का प्रयास करने लगा तो मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय जाब्ता ने निष्पक्ष गवाहान की उपस्थिति में डिटेन कर यथास्थिति खडे रहने की हिदायत कर अपना व स्वतंत्र गवाहान मय जाब्ता का परिचय देकर उसका परिचय पूछा तो उक्त व्यक्ति नें अपना नाम भुण्डाराम होना तथा वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यालय उपकोषाधिकारी , उप कोष कार्यालय रानी जिला पाली पर पदस्थापित होना बताया। तत्पश्चात् श्री भुण्डाराम से परिवादी श्री सकाराम को पहचानने एवं परिवादी से अभी थोडी देर पहले कोई रिष्वत राशि प्राप्त करने बाबत् पूछने पर श्री भुण्डाराम वरिष्ठ सहायक नें बताया कि मैं श्री सकाराम को जानता हूं, इसके पिताजी स्व0 मोटाराम जी की मृत्यु हो जाने पर इनकी माताजी के नाम पेंषन रिवाईज करवाने हेतु हमारे कार्यालय में आया करते थे, श्री दिनेष कुमार बावल उपकोषाधिकारी के कहने पर मैंने श्री सकाराम से राषि की मांग की थी, आज चार हजार रूपये श्री सकाराम ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले दिये है जो मैंने अपने हाथ में लेकर मेरे पहने हुए काले पाजामा के आगे की दाहिनी जेब में रखे है। साहब मेरी गलती हो गई। जिस पर पास ही खडे परिवादी श्री सकाराम नें आरोपी के उक्त कथनो की पुष्टि करते हुए बताया कि श्री भुण्डाराम ने मेरे पिताजी मोटाराम जी की मृत्यु हो जाने पर मेरी माताजी श्रीमती शांति के नाम से पेंषन चालु करवाने की कार्यवाही हेतु मैं भुण्डाराम जी उप कोष कार्यालय रानी में मिला तो उन्होंने मेरे से स्वयं एवं श्री दिनेष बावल उप कोषाधिकारी के लिए 6,000 रूपये रिष्वत राषि की मांग की, जिस पर मेरे द्वारा विनती करने पर 4,000 रूपये रिष्वत राषि लेने हेतु सहमत हुए , दिनांक 27.03.2025 को रिष्वती राषि

प्रदान करते वक्त श्री भुण्डाराम जी ने अपने कार्मिक पंकज को अन्य व्यक्ति को दिलाने बाबत मेरे साथ उप कोष कार्यालय रानी के बाहर भेजा था, बाहर खडे एक व्यक्ति को रिष्वती राषि देने हेतु पंकज ने मुझे कहा इतने में पिछे से भुण्डारामजी आ गये व एक तारीख के बाद ही राषि देने के लिए कहा एवं आज श्री भुण्डाराम जी ने अभी थोडी देर पहले 4,000 रूपये प्राप्त कर श्री भुण्डाराम जी ने अपने पहने हुए काले पाजामे की आगे की दाहिनी जैब में रखे है। तत्पष्चात मन् अति. पुलिस अधीक्षक नें परिवादी व आरोपी के मध्य लेन-देन से पूर्व डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की पुष्टि हेतु डिजीटल वॉयस रिकार्डर चलाकर सुना तो रिश्वत राशि आदान-प्रदान की वार्ता रिकार्ड होना पायी गयी। रिष्वती राषि लेन-देन स्थान कस्बा रानी चुंगीनाका , रानी बाजार होनें एवं भीड़ अत्यधीक इक्कठी हो जाने के कारण अग्रीम कार्यवाही पुलिस थाना रानी में करने का निर्णय लिया गया एवं उपस्थित जाब्ते से आरोपी श्री सकाराम के दोनों हाथ कलाई से उपर पकडवाये जाकर गाडी में बिठाकर मय समस्त हमरायान के रवाना होकर पुलिस थाना रानी पहुचे , जहा थानाधिकारी श्री पन्नाराम उप निरीक्षक पुलिस उपस्थित मिले , जिनसे अग्रीम ट्रेप कार्यवाही हेतु मौखिक सहमती प्राप्त की गई। तत्पष्चात आगे की कार्यवाही करते हुए जरिये विडियोग्राफी हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए प्लास्टिक की पारदर्शी (डिस्पोजेबल) दो साफ गिलास में साफ पानी भरवाकर एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया तो घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। उक्त रंगहीन घोल के गिलास में आरोपी श्री भुण्डाराम के दाहिने हाथ की अंगुलिया व अंगुठा डुबोकर धुलवायी गई तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितान ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को कांच की दो साफ शीषियो में आधा-आधा भरा जाकर सील मोहर कर चेपो पर मार्क आर.एच-1 एवं आर. एच-2 अंकित कर चेपो पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी भुण्डाराम वरिष्ठ सहायक के बांये हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को दुसरे गिलास के रंगहीन घोल में डुबोकर धुलवायी गई तो धोवन का रंग हल्का मटमेला हो गया जिसे सभी उपस्थितान ने हल्का हल्का मटमेला होना स्वीकार किया उक्त धोवन को कांच की दो साफ शीषियो में आधा-आधा भरा जाकर सील मोहर कर चेपो पर मार्क एल.एच-1 एवं एल.एच-2 अंकित कर चेपो पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। धोवन में प्रयुक्त दोनों डिस्पोजेबल प्लास्टिक के गिलासों को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पष्चात आरोपी श्री सकाराम की जामा तलाषी स्वतंत्र गवाह श्री हुक्मीचन्द से लिरवाने पर आरोपी श्री सकाराम के पहने हुए काले पजामें की आगे की दाहिनी जैब से पॉच सौ पॉच सौ रूपये के 08 नोट एकसाथ एवं 560 रूपये उसी जैब में खुले मिले जिसे स्वतंत्र गवाह श्री हुक्मीचन्द से गिनवाये गये तो कुल 4,560 रूपये होना पाये गयें। स्वतंत्र गवाह श्री सुभाषचन्द्र को पूर्व से मुर्तिब शुदा फर्द पेषकषी रिष्वती राषि सुपुर्द कर पेषकषी में अंकित नोटो के नम्बरों से मिलान उक्त बरामदगी राषि 500-500 के नोटो के नम्बरों से करवाने पर नोटों के 08 नोटो के नम्बर हुबहु फर्द पेषकषी में अंकित नोटों के नम्बरों के अनुसार पाये गये । बरामद नोटों का विवरण निम्नानुसार हैंः- 1. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 8RG892071 2. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 5NN741197 3. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 0QH091064 4. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 3UD872337 5. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 0HD593676 6. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 1AD365878 7. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 8MN661656 8. एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 9ND120083 उक्त भारतीय मुद्रा 4,000 रूपये को बतौर वजह सबूत धागे में लपेटकर सफेद लिफाफे में रख उक्त लिफाफे को कपडे की थैली में डालकर कपडे की थेली को शील्ड मोहर किया जाकर कब्जा एसीबी लिये गये। शेष 560 रूपये आरोपी ने स्वयं के खर्चे के होनें से उसे पुनः लौटाये गये। तत्पष्चात आरोपी श्री भुण्डाराम के पहनने हेतु एक अन्य पजामें की व्यवस्था कर उसके पहने हुए काले पजामें को उतरवाया गया। इसके बाद ट्रेप बॉक्स में से एक नया पारदर्शी प्लास्टिक (डिस्पोजेबल) साफ गिलास निकलवाकर साफ पीने का पानी भरवाया गया। उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाउडर डालकर चम्मच से हिलाकर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितान ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त तेयार रंगहीन घोल में रिष्वती राषि बरामदगी स्थान आरोपी के पहने हुए काले पजामें की आगे की दाहिनी जैब को उलटर तीन-चार बार डूबाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया । जिसे सभी उपस्थितान ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया । उक्त गहरे गुलाबी रंग के घोल को कॉच की दो साफ शीषीयों में आधा-आधा भरवाकर चस्पों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शीषीयों को शील्ड मोहर कर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित किया गया। उक्त काले पजामें को सुखोकर एक कपडे की थैली में डालकर कपड़े की थेली को शील्ड मोहर किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उपरोक्त की गई धोवन एवं बरामगी की कार्यवाही की विडियोग्राफी ब्यूरो के डिजीटल विडियों रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करवाई गई। हाथ धोवन की कार्यवाही के दौरान वक्त 9.45 पी0एम0 पर श्री चैनप्रकाष निरीक्षक पुलिस मय जाब्ता डिटेन शुदा सह आरोपी श्री दिनेष बावल को हमरा साथ लेकर आये ट्रेप में हाथ धोवन व बरामदगी कार्यवाही निरन्तर जारी होने से डिटेन सह आरोपी दिनेष बावल को थाना हाजा के अन्य कक्ष में बिठाने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी भुण्डाराम से रूबरू करवाने हेतु उपस्थिति चाहने पर मेरे समक्ष उपस्थित करने बाबत निर्देषित किया गया। तत्पष्चात दिनांक 09.04.2025 वक्त 00.45 ए0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , परिवादी श्री सकाराम , स्वतंत्र गवाहान श्री हुक्मीचन्द, एवं श्री सुभाषचन्द्र मय हमरा जाब्ता श्री भैरूसिंह एएसआई , श्री रतनसिंह कानि0, श्री ताराचन्द कानि0,

श्री नारायणसिह कानि0 ड्राईवर मय सरकारी टवेरा के घटना स्थल निरीक्षक हेतु चुंगीनाका रानी बाजार की तरफ रवाना हुआ। होकर घटना स्थल चुंगीनाका रानी बाजार पहुच स्वतत्र गवाहान की उपस्थिति में परिवादी श्री सकाराम की निषादेही से फर्द नक्षा मौका व हालात मौका घटना स्थल पृथक से मुर्तिब कर फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये । वक्त 01.05 ए0एम0 पर बाद घटना स्थल निरीक्षण मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , परिवादी श्री सकाराम , स्वतंत्र गवाहान श्री हुक्मीचन्द, एवं श्री सुभाषचन्द्र मय हमरा जाब्ता श्री भैरूसिंह एएसआई , श्री रतनसिंह कानि0, श्री ताराचन्द कानि0, श्री नारायणसिह कानि0 ड्राईवर मय सरकारी टवेरा एवं मुर्तिबा फर्दात के थाना रानी पहुचे। मालखाना आईटमस सुरक्षित हालत में पुनः नरेन्द्र चौधरी से प्राप्त किये एवं आरोपी श्री भुण्डाराम व सह आरोपी दिनेष बावल को पुनः मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देषन में निगरानी में रखा गया। वक्त 01.20 ए.एम. पर परिवादी श्री सकाराम व आरोपी श्री भुण्डाराम वरिष्ठ सहायक के मध्य दिनांक 08.04.2025 वक्त रिश्वत राशि लेन-देन के दौरान हुई वार्ता डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकार्डशुदा को उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में विभागीय लेपटॉप से अटेच कर सुन-सुनकर फर्द ट्रान्सस्क्रीप्ट रिश्वत राशि वक्त लेनदेन वार्तालाप एवं हैषवेल्यु तैयार करना प्रारम्भ की गयी। आरोपी भुण्डाराम एवं परिवादी की आवाज की पहचान परिवादी श्री सकाराम ने की। रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता की विभागीय लेपटॉप के माध्यम से हैष वेल्यु प्राप्त कर फर्द में अंकित की गई । रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता की कॉपी कर तीन क्लोन मेमोरीकार्ड तैयार किये गये। मूल मेमोरी कार्ड डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से निकालकर सफेद कपडे की थैली में सील मोहर किया जाकर कपड़े की थैली पर एवं फर्द पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा क्लोन तीनों मेमोरी कार्ड को खुली हालत में रखा गया। उक्त तीनों मेमोरी कार्ड सुरक्षा की दृष्टि से मुझ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं की अभिरक्षा में रखें। वक्त 04.00 ए.एम. पर प्रकरण में आरोपी श्री भुण्डाराम वरिष्ठ सहायक एवं श्री दिनेष बावल उपकोषाधिकारी को निगरानी से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थिति प्राप्त कर परिवादी श्री सकाराम की उपस्थिति प्राप्त कर तीनों का आपस में रूबरू करवाये गये तथा प्रकरण के तथ्यों के संबंध में पुछताछ कर दिनांक 24.03.2025 को परिवादी व आरोपी श्री भुण्डाराम व सह आरोपी श्री दिनेष बावल के मध्य हुई मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 27.03.2025 को परिवादी सकाराम व आरोपी श्री भुण्डाराम के मध्य लेन-देन पूर्व हुई वार्ताओं के मुख्य अंष क्लोन पेन ड्राईव पृथक -पृथक ब्यूरो के लेपटॉप में अटेच कर सुनवाई गई। आरोपीगणों द्वारा रिकॉर्ड वाताओं के अंषो को सुन एवं बाद पुछताछ अपना-अपना जूर्म स्वीकार किया नोट दर्ज है। आरोपीगणों के पुछताछ नोट पृथक से मुर्तिब किये। वक्त 05.00 ए.एम. प्रकरण में आरोपी श्री भुण्डाराम वरिष्ठ सहायक , उप कोष कार्यालय रानी जिला पाली को धारा 35 (1) बी (2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की वजह गिरफतारी चैक लिस्ट मुर्तिब की गई। वक्त 05.10 ए.एम.पर आरोपी श्री भुण्डाराम पुत्र श्री मिश्रीलाल उम्र 30 साल जाति मेघवाल निवासी ग्राम धन्धेडी पोस्ट मण्डला तहसील सोजत सिटी थाना सोजत सिटी जिला पाली हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय उपकोषाधिकारी , रानी जिला पाली को उनके द्वारा किये गये जूर्म धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) से आगाह कर कानूनी व संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाया जाकर नियमानुसार गिरफतार कर फर्द गिरफतारी पृथक से मुर्तिब की गई । गिरफतारी की सूचना आरोपी के बताये अनुसार उनके पडोसी एवं मित्र श्री हरिष को पृथक से दी गई। वक्त 05.15 ए.एम. पर प्रकरण में सहआरोपी श्री दिनेष बावल, उपकोषाधिकारी, कार्यालय उप कोष रानी जिला पाली को धारा 35 (1) बी (2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की वजह गिरफतारी चैक लिस्ट मुर्तिब की गई। वक्त 05.25 ए.एम. पर सह आरोपी श्री दिनेष बावल पुत्र श्री नेकाराम जी बावल जाति मेघवाल उम्र 49 साल निवासी रामदेव चौक मुण्डारा तहसील बाली थाना सादडी जिला पाली हाल उपकोषाधिकारी , उप कोष रानी जिला पाली को उनके द्वारा किये गये जूर्म धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) से आगाकर कानूनी व संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाया जाकर नियमानुसार गिरफतार कर फर्द गिरफतारी पृथक से मुर्तिब की गई । गिरफतारी की सूचना आरोपी के बताये अनुसार उनके बडे भाई रमेष कुमार को भौतिक रूप से दी गई। वक्त 06.00 ए.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री सकाराम की उपस्थिति में दौराने ट्रेप कार्यवाही फर्द हाथ धोवन एवं बरामदगी रिष्वत राषि (सीजर) एवं आरोपी के पजामें की जब्ती की सम्पूर्ण कार्यवाही ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग हेतु प्रयुक्त ब्यूरो के विडियो रिकॉर्डर में लगा मूल मेमोरी कार्ड जो मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की अभिरक्षा में सुरक्षित हालत में रख हुए को निकालकर ब्यूरो के लेपटॉप के माध्यम से हैष वेल्यु श्री ताराचन्द कानि. से निकलवाई गई फर्द पृथक मुर्तिब की गई। तत्पष्चात 09.45 ए.एम. पर प्रकरण श्री जीवाराम परिहार , सहायक लेखाधिकारी प्रथम उप कोष कार्यालय रानी की उपस्थिति प्राप्त कर उपस्थित निष्पक्ष गवाहान श्री हुक्मीचन्द एवं श्री सुभाषचन्द्र की उपस्थिति में दिनांक 24.03.2025 को परिवादी श्री सकाराम व आरोपी श्री भुण्डाराम एवं सहआरोपी श्री दिनेष बावल के मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 27.03.2025 तथा दिनांक 08.04.2025 को आरोपी भुण्डाराम व परिवादी के मध्य लेन-देन पूर्व हुई वार्ता जो ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड की गई । उक्त तीनो वार्ताओ के मुख्य अंश क्लोन पेन ड्राईव ब्यूरो के लेपटॉप के माध्यम से अटेच कर चलाकर स्वतंत्र गवाहान व परिवादी सकाराम के रूबरू कर आवाज पहचानकर्ता श्री जीवाराम परिहार को सुनायी गई तो सुन-समझ तसल्ली कर श्री जीवाराम परिहार ने बताया कि उक्त वार्तालाप में एक आवाज श्री भुण्डाराम एवं दुसरी श्री दिनेष बावल व अन्य की वार्ता है

फर्द मुर्तिब कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। वक्त 10.35 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान हुक्मीचन्द्र , सुभाषचन्द्र व गिरफतारषुदा आरेापी श्री भुण्डाराम वरिष्ठ सहायक व दिनेष बावल उपकोषाधिकारी रानी एवं जाब्ता श्री भैरूसिंह सहायक उप निरीक्षक , श्री रतनसिंह कानि0 श्री ताराचन्द्र कानि0 , श्री हुक्मसिंह कनिष्ठ सहायक, स्वतंत्र गवाहान श्री हुक्मीचन्द व श्री सुभाषचन्द्र, श्री नारायणसिंह ड्राईवर मय सरकारी टवेरा, व निजी वाहन के तथा थाना रानी से इमदाद प्राप्त कर परिवादी के माताजी श्रीमती शांति के पारिवारिक पेंषन पत्रावली प्राप्त करने व कार्यालय उप कोष रानी की खाना तलषी हेतु रवाना हुए। ट्रेप कार्यवाही में जब्त मालखाना आर्टिकल्स श्री नरेन्द्र चौधरी की निगरानी में रखे गये। वक्त 10.45 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान के उप कोष कार्यालय रानी पहुच श्री जीवाराम लेखाधिकारी प्रथम एवं श्री मुकेष कुमार कनिष्ठ लेखाकार उपस्थिति में नियमानुसार उप कोष कार्यालय रानी की खाना तलाषी ली जाकर फर्द पृथक से मुर्तिब कर फर्द मुर्तिब की गई। वक्त 11.10 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय सम्पूर्ण जाब्ता व गिरफतार आरोपीगणों के उपकोष कार्यालय से रवाना हो थाना रानी पहुचे। वक्त 11.30 ए. एम. पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री सकाराम की उपस्थिति में कार्यालय उप कोष रानी की खाना तलाषी की सम्पूर्ण कार्यवाही ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिंग हेतु प्रयुक्त ब्यूरो के विडियो रिकॉर्डर में लगा मूल मेमोरी कार्ड जो मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की अभिरक्षा में सुरक्षित हालत में रख हुए को निकालकर ब्यूरो के लेपटॉप के माध्यम से हैष वेल्यु श्री ताराचन्द कानि. से निकलवाई गई फर्द पृथक मुर्तिब की की गई। तत्पष्चात वक्त 11.45 ए0एम0 स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में ट्रेप कार्यवाही में रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रीप्ट, रिश्वत राशि लेन-देन पूर्व वार्ता एवं वक्त लेन-देन वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रीप्ट, कपडे की थैली में शिल्डशुदा रिश्वत राशि, आरोपी के हाथो एवं उसके वक्त वाका पहनी हुई पजामे की जैब के धोवन की शिल्डशुदा शीशियां, आरोपी के पजामें का पैकेट, रिश्वत राशि मांग सत्यापन एवं लेन-देन वार्ताओ का मूल मेमोरी कार्ड , सर्च एवं सीजर विडियो रिकॉडिंग मेमोरी कार्ड इत्यादि शिल्ड मोहर करने में प्रयुक्त की गई पीतल की सील की फर्द नमूना सील मुर्तिब कर शामिल रनिंग नोट की गई। प्रकरण में अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही मुर्तिबा फर्दात एवं जब्ती से पाया गया कि आरोपी भुण्डाराम वरिष्ठ सहायक व सह आरोपी श्री दिनेष बावल उपकोषाधिकारी , कोष कार्यालय रानी जिला पाली ने परिवादी सकाराम के पिता स्व0 मोटाराम की मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी श्रीमती शांति के नाम पारिवारिक पेंषन पत्रावली तैयार करने व पेंषन स्वीकृति करवाने की ऐवज में श्री दिनेष बावल के कहने पर श्री भुण्डाराम ने 6000 रूपये की रिष्वती राषि की मांग कर 4,000 रूपये लेने हेतु सहमत होना तथा दिनांक 24.03.2025 को आरोपी श्री भुण्डाराम वरिष्ठ सहायक व सहआरोपी श्री दिनेष बावल उपकोषाधिकारी , कार्यालय उप कोष रानी द्वारा रूबरू हुई वार्ता में रिष्वती राषि की स्पष्ट मांग की गई , तत्पष्चात दिनांक 27.03.2025 को आरोपी श्री भुण्डाराम ने परिवादी से रूबरू हुई वार्ता में रिष्वती राषि मांग कर आईन्दा , स्वीकृत पेंषन प्राप्त हो जाने के बाद प्राप्त करने हेतु कहकर दिनांक 08.04.2025 को परिवादी सकाराम से रूबरू हुई वार्ता में रिष्वती राषि की मांग कर 4,000 रूपये प्राप्त करने से आरोपी श्री भुण्डाराम वरिष्ठ सहायक एवं श्री दिनेष बावल उपकोषाधिकारी , कार्यालय उपकोष रानी जिला पाली को गिरफतार किया गया। आरोपी श्री भुण्डाराम वरिष्ठ सहायक एवं श्री दिनेष बावल उपकोषाधिकारी द्वारा लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं कर्तव्यों का दुरूपयोग कर अनैतिक लाभ प्राप्त करने हेतु दिनांक 24.03.2025 व दिनांक 27.032025 को रिष्वती राषि की मांग कर दिनांक 08.04.2025 को 4,000 रूपये प्राप्त की गई। आरोपी श्री भुण्डाराम वरिष्ठ सहायक एवं श्री दिनेष बावल उपकोषाधिकारी का उक्त कृत्य धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) का प्रमाणित पाया जाता है। अतः आरोपी आरोपी श्री भुण्डाराम पुत्र श्री मिश्रीलाल उम्र 30 साल जाति मेघवाल निवासी ग्राम धन्धेडी पोस्ट मण्डला तहसील सोजत सिटी थाना सोजत सिटी जिला पाली हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय उपकोषाधिकारी , रानी जिला पाली एवं आरोपी श्री दिनेष बावल पुत्र श्री नेकाराम जी बावल जाति मेघवाल उम्र 49 साल निवासी रामदेव चौक मुण्डारा तहसील बाली थाना सादडी जिला पाली हाल उपकोषाधिकारी , उप कोष रानी जिला पाली के विरूद्ध उक्त धाराओ में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपेार्ट तैयार की जाकर क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है। (धर्मेन्द्र डूकिया) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली-प्रथम।............कार्यवाही पुलिस....................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री धर्मेन्द्र डूकिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-प्रथम ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 ,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी 01- आरोपी श्री भुण्डाराम पुत्र श्री मिश्रीलाल उम्र 30 साल जाति मेघवाल निवासी ग्राम धन्धेडी पोस्ट मण्डला तहसील सोजत सिटी थाना सोजत सिटी जिला पाली हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय उपकोषाधिकारी , रानी जिला पाली एवं 02- आरोपी श्री दिनेष बावल पुत्र श्री नेकाराम जी बावल जाति मेघवाल उम्र 49 साल निवासी रामदेव चौक मुण्डारा तहसील बाली थाना सादडी जिला पाली हाल उपकोषाधिकारी , उप कोष रानी जिला पाली के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री पदमपाल सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर एस.यू., जोधपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 148 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 525–29 दिनांक 09.04.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.

विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली 2. निदेशक एवं संयुक्त् शासन सचिव, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3- जिला कलक्टर पाली 4-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर, 5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-प्रथम। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** PADAMPAL SINGH **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 09/04/2025 20:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	10/07/1994				
2	Male	11/04/1975				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)